International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 28-06-2025, Accepted: 29-07-2025, Published: 13-08-2025
Volume 11, Issue 4, 2025, Page No. 111-114

अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. शक्ति गुप्ता[1], डॉ. नरेन्द्र सिंह[2]
[1] प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] प्रभागीय वनाधिकारी, महोबाए उत्तर प्रदेश, भारत

सारांष
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है। सदस्यों की एक निश्चित् जीवन शैली होती है। जाति अनेक अन्तर्विवाही परिवारों का समूह है। विभिन्न जातियों में ऊँच–नीच का स्वीकृ त क्रम होता है। प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है। भारतीय समाज व्यवस्था में जाति के रूप में विभिन्न जातियों के बीच व्यवहार नियंत्रित होता रहा है।उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यहां अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या ही निवास नहीं करती बल्कि य जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हैं। इन क्षेत्रों की समस्याएं जटिल हैं तथा अभी भी ये जातियाँ राष्ट्रीय समरसता एवं विकास की धारा से पूर्णरूप से जुड़ नहीं पायी हैं।

मूलषब्दः जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जातियाँ।

परिचय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज के कला, धर्म, साहित्य, परिवार, विवाह, मनोरंजन और संस्थाएं हैं जो उसने इसलिए बनायी हैं ताकि उसका जीवन सुव्यवस्थित एवं नियमों में बंधकर चल सके। परम्परागत भारतीय समाज में जाति, परिवार, नातेदारी जैसे प्रदत्त सामाजिक प्रस्थिति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है लेकिन आधुनिक समाज में प्रस्थिति निर्धारण में शिक्षा, आय, व्यवसायएवं सम्पत्ति व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि परिवार के निर्माण में महत्वपूर्णभूमिका निभाती है। टॉलकाट पारसन्स का मत है कि किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊँचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन होता है। अर्थात् एक व्यक्ति संस्कृ ति तथा समाज के मध्य एक व्यवस्था पायी जाती है। उस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति कुछ सुनिश्चित क्रिया–प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहाररत रहता है। समाज इन्हीं प्रतिमानों, आकांक्षाओं और अपेक्षित व्यवहारों के अनुरूप रहता है। बर्नाड बारबर का मानना है कि प्रत्येक समाज में व्यवसाय का महत्व, आर्थिक सम्पत्ति, व्यक्तिगत शिक्षा ज्ञान, सत्ता तथा शक्ति जैसे कारकों को प्रस्थिति का निर्धारक कारक मानते हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है। सदस्यों की एक निश्चित् जीवन शैली होती है। जाति अनेक अन्तर्विवाही परिवारों का समूह है। विभिन्न जातियों में ऊँच–नीच का स्वीकृत क्रम होता है। प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है। भारतीय समाज व्यवस्था में जाति के रूप में विभिन्न जातियों के बीच व्यवहार नियंत्रित होता रहा है। व्यवसाय का निर्धारण भी जाति के आधार पर होता रहा है। इसलिए जातिगत सामाजिक स्थिति व्यक्तियों के आधुनिक भविष्य को पूर्ण निर्धारित कर देती है। आधुनिक संसार उद्योगों का संसार हो गया है जिसके कारण जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन आया है। मुख्य रूप से कृषि वर्ग और श्रमिक वर्ग उभरकर सामने आये हैं। इससे जातीय असमानताएं समाप्त हो रही हैं और उसके स्थान पर समान सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति हुई है लेकिन इसका प्रभाव असमान है। जाति, धर्म, आयु, शिक्षा एवं पारिवारिक स्वरूप, व्यावसायिक स्थितियों ने व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित किया है। जाति के आधार पर अब भी सामाजिक असमानताएँ देखने को मिलती हैं।

अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। इन महिलाओं को कार्यस्थल तथा अन्य स्थानों पर अनेक प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार होना पडता है। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण इनका शैक्षिक व राजनैतिक विकास नहीं हो पाया जिसके कारण इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थितिनिरन्तर गिरती चली गयी। वर्तमान समय में सरकार द्वारा अनेक प्रकार के विधान बनाये गये हैं जिनके तहत अनुसूचित जातियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है किये जातियो अब शिक्षा व राजनीति के क्षेत्र में रूचि लेने लगीं हैं तथा अपने भविष्य व विकास के प्रति अत्यन्त संवेदनशील हो गयी हैं किन्तु अभी भी इनके विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है।

हमीरपुर जनपद में सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां कहां तक अनुसूचित जातियों के विकास को प्रभावित करती हैं उन तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है। यहां की अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति किस स्तर तक विकसित है, उनकी सामाजिक स्थिति का विकास कहां तक हुआ है और इसके लिए वे कितने प्रयासरत हैं, इन्हीं विन्दुओं का उल्लेख आंकडों के माध्यम से किया जा रहा है

आयु व्यक्ति की वह जैविकीय विषेशता है जिसके आधार पर व्यक्ति को शारीरिक और बौद्धिक विकास के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। सामाजिक दृष्टि से आयु न केवल व्यक्ति की परिपक्वता, अनुभव और ज्ञान के स्तर को प्रतिबिम्बित करती है बल्कि इसके द्वारा सामाजिक परिवेश में निश्चित सामाजिक प्रस्थिति और भूमिका प्राप्त होती है। आयु एक जैविक धारणा है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को काल के परिधि एवं आयाम पर विभिन्न चरण एवं अवस्थाओं मेंविभाजित किया जाता है। जैविकीय दृष्टि से आयु व्यक्ति के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया के अन्तर्गत आयु वृद्धि के साथ ही साथ व्यक्ति को जो नवीन ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होती है उससे व्यक्ति का बराबर निर्णय एवं अभिवृत्तियां प्रभावित होता है। आयु के मामले में प्रस्थिति का निर्धारण जैविकीय कारणों की अपेक्षा सांस्कृतिक कारणों से अधिक होता है। कुछ समाजों में आयु को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसे जीवित मानकर उसे सम्मान दिया जाता है।

उत्सवों का विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर मृत व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें गोत्र की विभिन्न घटना की सूचना दी जाती है तथा उन्हें भोजन करते समय याद किया जाता है। आयु का अन्तर एक मूलभूत आधार है जो प्रत्येक समाज में प्रस्थिति निर्धारण तथा सामाजिक स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रस्तुत अध्ययन में आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण सारणी संख्या–1 से स्पष्ट है

सारणी संख्या 1: आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

आयु (वर्षो में)	आवृत्ति	प्रतिशत
18–30 वर्ष	70	35.00
31–40 वर्ष	40	20.00
41–50 वर्ष	45	22.50
51–60 वर्ष	30	15.00
61 से अधिक	15	7.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 35.00 प्रतिशत उत्तरदाता 18–30 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इसी प्रकार 31–40 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या अध्ययन समग्र में 20.00 प्रतिशत है। 41–40 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 22.50 प्रतिशत तथा 51–60 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 15.00 प्रतिशत है। 61 वर्ष से अधिक के सबसे कम उत्तरदाता 7.50 प्रतिशत हैं। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन समग्र में 18–30 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

प्रत्येक समाज में लिंग भेद के कारण स्त्री–पुरुष की स्थिति में भिन्नता होती है। स्त्रियों की समाज में एक विशेश स्थिति है जबकि पुरुषों की उससे भिन्न होती है। समाज में स्त्री और पुरूषों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। लिंग भेद के कारण ही जन्म के साथ एक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। स्त्री–पुरूष की अपेक्षाएं भिन्न–भिन्न होती हैं। पाणिशास्त्रीय आधार पर स्त्री की प्रस्थिति पुरूष से भिन्न होती है। कई संस्कृतियों में स्त्रियों को कमजोर, सहज, विश्वासी, कोमल तथा भावुक समझा जाता है, जबकि पुरुषों को साहसी वीर माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न समाजों में स्त्री–पुरुषों की स्थितियां भिन्न हैं। कहीं पुरूष श्रेष्ठ है तो कहीं स्त्री निम्नतर। भारतीय प्राचीन सभ्यता को देखें तो अतीत में स्त्रियों की दशा उच्चतर थी फिर उतार–चढ़ाव के बाद इन्हें नीचे उतार दिया गया। उसके बाद फिर अब स्थिति में सुधार की स्थिति दिख रही है। हर जगह समानता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गयी हैं। लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है

सारणी संख्या 2: लिंग भेद के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरुष	145	72.50
स्त्री	55	27.50
योग	200	100.00

सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि समग्र में पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या 72.50 प्रतिशत है जबकि महिला उत्तरदाताओं की संख्या 27.50 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन समग्र में पुरूष उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संख्या 33 प्रतिशत से कम है।

भारत में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। भारतीय संस्कृति में विवाह का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह वंश परम्परा को आगे बढाता है तथा एक सामाजिक जीवन जीने की राह दिखाता है। भारत में विवाह को अनेक संस्कारों के मध्य एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अतः उत्तरदाताओं से उनके वैवाहिक स्तर के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई उसे निम्नलिखित सारणी के माध्यम से प्रस्तुति किया जा रहा है–

सारणी संख्या 3: वैवाहिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

वैवाहिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
अविवाहित	85	42.50
विवाहित	115	57.50
योग	200	100.00

सारणी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि समग्र के 42.50 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं तथा 57.50 प्रतिशत उत्तरदाता वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि समग्र के अधिकांश उत्तरदाता विवाहित हैं।

जाति प्रथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक जटिल एवं अनोखी संस्था है। भारत में जाति व्यवस्था जिस रूप में विद्यमान है वैसी विश्व के किसी देश में नहीं पायी जाती है। इसलिए दुनियां के समाज वैज्ञानिक भारत की ओर आकर्शित हुए हैं और जातियों के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु इसे माना। वर्तमान में पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के अभाव के कारण जाति प्रथा के परम्परागत स्वरूपों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जातिवाद के स्वरूप में ढीलापन आया है जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनों तथा कुछ संवैधानिक विधानों जैसे गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1850 में जाति निर्योग्यता मूलक अधिनियम, 1872 में विशेष विवाह अधिनियम, 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून द्वारा जातियों के समस्या निर्योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया तथा जाति के नाम पर किसी को निम्न कहना अपराध माना गया। इस प्रकार भारत में जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ किन्तु आरक्षण के आने से फिर से जातिसमस्या तेज हो गयी है। जाति प्रथा पर सहमति के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है:

सारणी संख्या 4: जाति प्रथा पर सहमति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

जाति प्रथा पर सहमति	आवृत्ति	प्रतिशत
सहमत	41	20.50
असहमत	130	65.00
कोई उत्तर नहीं दिया	29	14.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित सर्वाधिक 65.50 प्रतिशत उत्तरदाता जाति प्रथा से सहमत नहीं हैं जबकि 20.50 प्रतिशत उत्तरदाता जाति प्रथा से सहमत पाये गये हैं। समग्र में 14.50 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी रहें जिन्होंने इस सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन समग्र के अधिकांश उत्तरदाता जाति प्रथा के विरोधी हैं क्योंकि जाति प्रथा के कारण उनको उनके प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इससे सामाजिक समरसता में कमी आती है। भारतीय राजनीति के लिए जाति के आधार पर मतदान करना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इससे पूरा देश प्रभावित है। जातिवाद आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन गयी है जिसके कारण योग्य व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

सारणी संख्या 5: मकान के स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

मकान का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
पक्का मकान	30	15.00
कच्चा मकान	110	55.00
कच्चा पक्का मिश्रित	35	17.50
झोपडी	25	12.50
योग	200	100.00

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि समग्र के 15.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास पक्का मकान है जबकि सर्वाधिक 55.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कच्चा मकान है। कच्चा पक्का मिश्रित पकान वाले उत्तरदाताओं की संख्या समग्र में 17.50 प्रतिशत पायी गयी है। 12.50 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये हैं जिनके पास झोपड़ी जैसा मकान है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज भी अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की आवासीय स्थिति बेहतर नहीं है। अतः इस ओर अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

परिवार एक सार्वभौम संस्था है जिसका समाज में सबसे ऊँचा और महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति का सम्बन्ध अपने परिवार से आजीवन रहता है। व्यक्ति की सभी प्रमुख आवश्यकताओं जैसे–भोजन, आवास, यौन तथा सुरक्षा आदि की पूर्ति परिवार के अन्तर्गत ही होती है। व्यक्तित्व का विकास परिवार में ही प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में भारतीय संयुक्तपरिवार के अनेक कार्य थे जैसे– सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय, वाह्य विपदाओं से रक्षा आदि। भारत की परिवार प्रणाली संयुक्त परिवार के नाम से ही जाना जाता रहा है। परिवार ऐसा समूह है जो यौन सम्बन्धों पर आश्रित इतना शक्तिशाली है कि संतान जन्म एवं पालन–पोषण की क्षमता रखता है। ग्रामीण जीवन की परिस्थितियां एवं आवश्यकताएं नगरी जीवन से भिन्न होने के कारण तथा गांवों में जीवन के अवशेषीकृत के कारण संयुक्त परिवार पर बल दिया जाता है जबकि नगरों में एकाकी परिवारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सदस्यों में भावनात्मक सम्बद्धता ही परिवार के सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। पारिवारिक स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है

सारणी संख्या 6: पारिवारिक स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

पारिवारिक स्वरूप	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
एकाकी	113	56.50
सयुक्त	87	43.50
योग	200	100.00

सारणी के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति में यह अन्तर बहुत अधिक नहीं है। जितनी संख्या एकाकी परिवारों की है लगभग उससे थोड़ी ही कम ही संख्या संयुक्त परिवारों की भी है। अध्ययन समग्र के उत्तरदाताओं में से 56.50 प्रतिशतउत्तरदाता ऐसे हैं जिनके परिवार का स्वरूप एकाकी है जबकि 43.50 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं। अतः कहा जा सकता है कि अध्ययन में सर्वाधिक संख्या एकाकी परिवार के उत्तरदाताओं की है। यह बात ओर संकेत करता है कि अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं में भी तेजी से पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया गतिशील है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता

उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रान्त है जिसमें घटित घटनाओं का प्रभाव राष्ट्रव्यापी तथा युगान्तकारी सिद्ध हुआ है। इसे भारत की राजनीति का अखाड़ा कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय राजनीति का उतार–चढ़ाव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सक्रियता से निर्धारित होती है। यहां राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यहां अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या ही निवास नहीं करती बल्कि य जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हैं। इन क्षेत्रों की समस्याएं जटिल हैं तथा अभी भी ये जातियाँ राष्ट्रीय समरसता एवं विकास की धारा से पूर्णरूप से जुड़ नहीं पायी हैं। यद्यपि इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए विविध योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण तथा संवैधानिक उपाय किये गये हैं परन्तु यह उपाय तथासुविधाएं उन जातियों की समस्याओं को सुलझाने में तब तक पूर्णरूप से कारगर नहीं हो सकती हैं जब तक कि इस वर्ग के नेता स्वयं इन जातियों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील न हों।

संभवतः इसी उद्देश्य से अनुसूचित जातियों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए 92 स्थान एवं लोकसभा सीटों में 17 सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार स्थानीय निकाय चुनावों, ग्राम पंचायतों आदि के चुनाव में भी इनके आरक्षण की व्यवस्था है। इन सभी तथ्यगत प्रसंगों की जिज्ञासा में शोध का यह उद्देश्य निश्चित किया जाना उपयोगी एवं व्यावहारिक समझा गया कि एक विशिष्ट वर्ग की राजनीति में क्या भूमिका हो सकती है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुसूचित जाति

भारत के विशाल लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग स्थान रखती है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारतीय संविधान में इकाई राज्यों की व्यवस्था जिस प्रकार से की गयी है उत्तर प्रदेश उसका अपवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली है। यहां का विधानमण्डल द्विसदनात्मक है। विधान सभा के सदस्यों की संख्या 403 एवं विधान परिशदों के सदस्यों की संख्या 99 तथा लोक सभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 80 और 81 सदस्य हैं।

भारत के राजनीतिक दलों में दल–बदल की प्रवृत्ति सदा से विद्यमान रही है लेकिन 1967 से 1970 और 1977 से 1979 के वर्षों मेंयह प्रवृत्ति बहुत अधिक भीशण रूप में देखी गयी। दल–बदल की स्थिति किन्हीं सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण नहीं अपितु सत्ता में भागीदारी के लिए होता है। चतुर्थ आम सभा चुनाव में दलित वर्गों का झुकान साम्यवादी दल और संयुक्त समाजवादी दल की ओर हो गया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने जब कांग्रेस को छोड़ कर अन्य दलों पर भी भरोसा करना शुरू कर दिया और इसका उन्हें लाभ भी मिला। चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 14 स्थान ही अनुसूचित जाति की रह गयी।

1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रथम बार कांग्रेस का विघटन हो गया। कांग्रेस दो पक्षों– सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में विभाजित हो गयी और 1971 में सम्पन्न हुए पांचवें लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने पृथक–पृथक भाग लिया। चुनाव में सत्ता कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनसाधारण द्वारा कांग्रेस को प्रबल समर्थन प्रदान किया गया। पांचवें आम चुनाव में कुल 85 में से 18 स्थानों पर अनुसूचित जातिया के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। गंगा देवी और बैजनाथ कुरील ने लगातार पांचवीं बार संसद पहुंच कर एक नया कीर्तिमान बनाया। 26 जून. 1975 में सत्ता कांग्रेस द्वारा देश में आन्तरिक आपातकालीन स्थिति की घोशणा कर दी गयी। मार्च 1977 में देश में छठां लोक सभा चुनाव सम्पन्न हुआ। इस चुनाव में मुख्यतः कांग्रेस और भारतीय लोकदल ने भाग लिया। कांग्रेस से उठे सभी अनुसूचित जाति के

उम्मीदवार बुरी तरह पराजित हो गये। यहाँ तक कि स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी भी पराजित हो गयीं। भारतीयलोकदल से लड़ रहे अनुसूचित जाति के सभी नेता विजयी रहे। परिणाम यह हुआ कि केन्द्र में कांग्रेस का तीस वर्ष का शासन समाप्त हो गया।

चौदहवीं लोकसभा चुनाव 2004 में पांच चरणों में सम्पन्न हुआ। इसमे समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार विजयी हुए तथा बहुजन समाज पार्टी के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अनुसूचित जाति के दो–दो उम्मीदवार विजयी रहे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर 4–4 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार विजयी रहे। राष्ट्रीय लोक दल से अनुसूचित जाति का मात्र एक उम्मीदवार विजयी रहा।

2009 में जो लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के विजयी रहे। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर रहे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के दो–दो उम्मीदवारों को विजय प्राप्त हुई। पन्द्रहवीं लोकसभा चुनाव की मुख्य विशेशता बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों का चुनकर आना है। इस बार 542 सीटों के लिए हुए चुनाव में 58 महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी जो अब तक के भारतीय संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत रही।

2014 में हुए लोक सभा में चुनाव में पूरे दो में 74 महिलाएं विजयी रही जिसमें 12 महिलाएं अनुसूचित जाति की हैं काग्रेस दल से सर्वाधिक 04 महिलाएं विजयी रहीं विजयी अनुसूचित जाति की हैं ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. एन.एन. चोहरा समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 1993
2. भारत का संविधानः विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. दिनेश गोस्वामी समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 1990
4. इन्द्रजीत गुप्त समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 1998
5. इण्डियाः कॉन्स्टीट्यूएंट एसेम्बली डिबेट्स, नई दिल्ली
6. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
8. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
9. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) 1956, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
10. मैन्यूएल आफैं इलेक्शन लॉ, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, (विभिन्न संस्करण) नई दिल्ली
11. निर्वाचन आयोग द्वारा आम निर्वाचन से लेकर अब तक सम्पन्न सभी आम निर्वाचनों, मध्यावधि निर्वाचनों के प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन
12. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों, अभ्यर्थियों के निर्देर्शन हेतु प्रकाशित पुस्तकें।
13. राष्ट्रीय संविधान कार्यकारण संमीक्षा आयोग का प्रतिवेदन
14. तारकुण्डे समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 1975
15. विधि आयोग का 170वां प्रतिवेदन
16. विधि आयोग का 244वां प्रतिवेदन
17. विधि आयोग का 255वां प्रतिवेदन
18. www.eci.gov.in
19. अग्रवाल, आर.सी., कॉन्सटीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, एस चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1986
20. अय्यर एस.पी. एवं श्रीनिवासन आर, इस्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, एलाईड पब्लिशर्स, बम्बई, 1965
21. आहुजा, एस०एल०, हैंडबुक ऑफ जनरल इलेक्शन एण्ड इलेक्टोरल रिफार्म्स 1952–99, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002
22. आचार्य, पी०डी०टी०, इलेक्शन लॉ एण्ड प्रेक्टिस, भारत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
23. अग्रवाल, आर०सी०, इण्डियन गर्वनमेंट एण्ड पालिटिक्स, एस. चाँद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2006
24. अय्यर, एन, दि लॉ आफ इलेक्शन, कम्पनी लॉ इन्सिट्यूट आफ इण्डिया, चेन्नई, 1961